



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 30 अगस्त, 2024

थाना सिकन्द्राबाद

प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की घटना में वांछित मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा कारतूस बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.08.2024 को थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत मौ0 काजीवाड़ा निवासी प्रॉपर्टी डीलर यामीन पुत्र अकबर की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-666/24 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना के क्रम में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 30.08.2024 को मुख्य अभियुक्त सलीम को अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा जमीनी विवाद व अपनी पुत्री को उसके ससुरालीजनो द्वारा न ले जाने पर रंजिश मानते हुए षडयंत्र रचकर यामीन की हत्या करा दी थी। उक्त घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तो को पूर्व में ही पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. सलीम पुत्र शहीद उर्फ सईद निवासी मौ0 कम्मूवान कस्बा व थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी-

- 1- 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त सलीम का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-410/20 धारा 34,302 भादवि थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 2- मुअसं-666/24 धारा 103(1),61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अग्रिम वैधानिक कार्यावाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री रविरतन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद।
- 2- उ0नि0 राकेश सिंह, उ0नि0 पुनीत कुमार,
- 3- का0 मोहन शर्मा, का0 शिवम



मीडिया सेल बुलंदशहर